



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 392 राँची, बुधवार,

26 अगस्त, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

20 अगस्त, 2020 ई०।

संख्या :-11/बंदी विविध-07/2019- 2985 -- झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पषद की दिनांक- 17.07.2020 एवं 20.07.2020 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में आवश्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची में संसीमित आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्नांकित बंदियों के प्रस्ताव को अगली बैठक तक के लिए लंबित रखते हुए कारा से मुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र.	बंदी का विवरण	लंबित रखने का कारण
1	2	3
1	डाईबर महली पे. स्व. बालेनकी महली उम्र-58 वर्ष लगभग।	संबंधित काराधीक्षक से निम्नलिखित बिन्दु पर विशेष मंतव्य प्राप्त कर अगली बैठक में पुनर्विचार किया जायेगा :- (1) कारा संसीमन अवधि में बंदी की मानसिक स्थिति और किये गये उपचार से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन।

		(2) RINPAS के चिकित्सकों एवं कारा चिकित्सक के द्वारा जाँच कर अद्यतन चिकित्सीय प्रतिवेदन।
2	माटा सिंकू, पे.- स्व. कानू सिंकू, उम्र-39 वर्ष लगभग।	संबंधित काराधीक्षक से निम्नलिखित बिन्दु पर विशेष मंतव्य प्राप्त कर अगली बैठक में पुनर्विचार किया जायेगा :- (1) बंदी द्वारा किये गये अपराध के संबंध में FIR एवं न्यायादेश की प्रति के आधार पर काण्ड का सारांश। (2) सह अभियुक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं अद्यतन स्थिति।
3	करमा लोहरा, पे.- मदरू लोहरा, उम्र-31 वर्ष लगभग।	संबंधित प्रोबेशन पदाधिकारी से बंदी के मुक्त किये जाने पर पीड़ित तथा उसके परिवार की मनोस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य के साथ उपलब्ध करायेंगे।
4	मनोज सिंह, पे.- सत्य नारायण सिंह, उम्र- 39 वर्ष (लगभग)।	कारा महानिरीक्षक पिछली बैठक में उक्त बंदी के असमय कारामुक्ति के अस्वीकृति का कारण स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

2. झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्वद की दिनांक-17.07.2020 एवं 20.07.2020 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में आवश्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर में संसीमित आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्नांकित बंदियों के प्रस्ताव को अगली बैठक तक के लिए लंबित रखते हुए कारा से मुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र.	बंदी का विवरण	लंबित रखने का कारण
1	2	3
5	बुधु मुण्डा, पे.-सेना मुण्डा, उम्र-48 वर्ष लगभग,	संबंधित काराधीक्षक से निम्नलिखित बिन्दु पर विशेष मंतव्य प्राप्त कर अगली बैठक में पुनर्विचार किया जायेगा :- (1) बंदी के अपराध का पूर्ण विवरण FIR एवं न्यायादेश के आधार पर प्रतिवेदन सहित। (2) संबंधित प्रोबेशन पदाधिकारी से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन एवं स्पष्ट मंतव्य के साथ उपलब्ध करायेंगे।
6	मांगा मुण्डा, पे.-सेना मुण्डा, उम्र-48 वर्ष लगभग,	संबंधित काराधीक्षक से निम्नलिखित बिन्दु पर विशेष मंतव्य प्राप्त कर अगली बैठक में पुनर्विचार किया जायेगा :- (1) बंदी के अपराध का पूर्ण विवरण FIR एवं न्यायादेश के आधार पर प्रतिवेदन सहित।

		(2) संबंधित प्रोबेशन पदाधिकारी से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन एवं स्पष्ट मंतव्य के साथ उपलब्ध करायेंगे।
7	सुखराम उर्फ हाथीराम मुण्डा, पे.-सेना मुण्डा, उम्र-38 वर्ष लगभग,	संबंधित काराधीक्षक से निम्नलिखित बिन्दु पर विशेष मंतव्य प्राप्त कर अगली बैठक में पुनर्विचार किया जायेगा :- (1) बंदी के अपराध का पूर्ण विवरण FIR एवं न्यायादेश के आधार पर प्रतिवेदन सहित। (2) संबंधित प्रोबेशन पदाधिकारी से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन एवं स्पष्ट मंतव्य के साथ उपलब्ध करायेंगे।

3. झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्वद की दिनांक-17.07.2020 एवं 20.07.2020 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में आवश्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग में संसीमित आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्नांकित बंदियों के प्रस्ताव को अगली बैठक तक के लिए लंबित रखते हुए कारा से मुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र.	बंदी का विवरण	लंबित रखने का कारण
1	2	3
8	उमेश सिंह, पे.- सरयुग सिंह, उम्र- 50 वर्ष लगभग।	संबंधित काराधीक्षक से FIR एवं न्यायादेश के आधार पर बंदी के उपर स्पष्ट आरोप एवं कृत अपराध का पूर्ण विवरण अगली बैठक में पुनर्विचार हेतु उपस्थापित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के अवर सचिव।
